“उदासीन रहना हमारा सब से बड़ा अपराध है”: भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार, निगरानी कार्यकर्ताओं और नक्सलियों का दुर्व्यवहार

सारांश 1

सरकार और सलवा जुडुम के दुर्व्यवहार 3

नक्सलियों का दुर्व्यवहार 7

महत्वपूर्ण सुझावः सुरक्षा और उत्तरदायित्व की ज़रूरत 10

कार्य प्रणाली 13

परिभाषिक शब्दावली 16

सुझाव 18

भारत की केन्द्र सरकार के लिए 18

विस्थापित लोगों की सुरक्षा करें 19

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्तर के मुताबिक़ क़ानून व्यवस्था बनाएँ 20

बच्चों को युद्ध में भर्ती करने को रोकें और सारे सशस्त्र गुटों द्वारा भर्ती किए गए बच्चों की रिहाई में मदद करें 20

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए 21

सलवा जुडुम से सरकारी सहायता समाप्त करें, सलवा जुडुम और पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए दंडमुक्ति पर गौर करें और भविष्य में दुर्व्यवहार रोकें 21

इस संघर्ष में विस्थापित हुए लोगों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया जाए 23

कम उम्र के विशेष पुलिस अधिकारियों की पहचान की जाए, उनकी भर्ती रोकी जाए और उनका पुनर्वास किया जाए 24

आंध्र प्रदेश सरकार से 24

सीपीआई (माओवादी) पार्टी से 25

विदेशी सरकारों, अंतरसरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से 27

आभार 28

सारांश

"हम प्रायः सोचते हैं कि इस युग में जन्म लेकर हमने कौन सा पाप किया है| हमारा जीना असाध्य हो चुका है| नक्सलवादी आकर हमें धमकाते हैं| वे हम से खाना माँगते हैं और पुलिस की गतिविधियों की जानकारी चाहते हैं| फिर पुलिस आती है| वह हमें पीटती है और उनके बारे में पूछती है| हम लोग इन दोनों के बीच फँस गये हैं| इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है|"

— सरकार द्वारा चलाए जानेवाले शिविर एर्राबोर के एक निवासी का बयान, जनवरी 2008

जून 2005 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक कम जाने-पहचाने विवाद के नाटकीय तौर पर भड़क उठने से सैंकड़ों गाँव तबाह हो गए और दसियों हज़ार लोगों को बेघर होना पड़ा| एक ओर माओवादी आंदोलन और दूसरी ओर सरकारी सुरक्षा बल और सतर्कता दल सलवा जुडुम की ख़ूनी रस्साकशी में फँसे आम नागरिकों के मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है जिन में हत्या, उत्पीड़न, और जबरन विस्थापन शामिल हैं|

आम तौर पर नक्सलवादी कहे जानेवाले माओवादियों का सशस्त्र आंदोलन चार दशकों से देश के 13 राज्यों में सक्रिय है| ये लोग अपना उद्देश्य यह बताते हैं कि उन्हें ग़रीबों, विशेषकर भूमिहीनों, दलितों (तथाकथित अछूतों) और आदिवासी गुटों के हितों की रक्षा करना है| देश के भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसार पाते उनके लगातार सशस्त्र हमलों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2006 में यह कहना पड़ा कि नक्सलवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रही है|

नक्सलियों ने 1980 के दशक से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में अपनी ज़बरदस्त मौजूदगी बना रखी है| हालांकि इस इलाक़े में रहनेवाले कई स्थानीय आदिवासी समुदाय आर्थिक शोषण के ख़िलाफ़ नक्सलियों के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, लेकिन नक्सलियों के बढ़ते दुर्व्यवहार, जिनमें पैसे और खाने की लूट-खसोट, आम नागरिकों की ज़बरन भर्ती, और पुलिस के मुख़बिर समझे जानेवालों या 'ग़द्दारों' की हत्याओं के मामलों ने धीरे-धीरे लोगों को उनसे विमुख करना शुरू कर दिया है|

जून 2005 में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में नक्सलियों के विरूद्ध आम विरोध ने सलवा जुडुम का निर्माण किया| यह सरकार के सहयोग से गठित एक निगरानी गुठ है और इसके गठन का उद्देश्य था नक्सलियों का सफ़ाया करना| सलवा जुडुम की गतिविधियाँ जल्द ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दांतेवाडा ज़िलों के सैंकड़ों गाँवों में फैल गईं| सरकारी सुरक्षा बलों के सक्रिय सहयोग से सलवा जुडुम के कार्यकर्ताओं ने नक्सलियों के समर्थक समझे जानेवाले सैंकड़ों गाँवों पर हिंसक हमले किये, उनके निवासियों को जबरन सतर्कता दल में भर्ती किया, और दसियों हज़ार लोगों को सरकार द्वारा संचालित सलवा जुडुम शिविर में पहुँचा दिया| उन्होंने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने सलवा जुडुम का साथ देने से इनकार किया या फिर शिविर छोड़ कर भागे|

नक्सलियों ने इस सरकार-समर्थित आक्रामक अभियान का जवाब सलवा जुडुम शिविरों पर हमलों से या ऐसे लोगों के अपहरण और हत्याओं से किया, जिनपर उन्हें सलवा जुडुम के नेता या समर्थक या फिर पुलिस के मुखबिर होने का सन्देह था|

ना ही सरकार ने और न ही नक्सलियों ने आम नागरिकों की तटस्थता की कोई जगह रखी| एक ओर से सुरक्षा लेने का मतलब था दूसरी ओर से हमले का ख़तरा मोल लेना| जिन स्थानीय पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने छान-बीन की और सरकारी सुरक्षा बलों और सलवा जुडुम के दुर्व्यवहारों का वर्णन किया, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परेशान किया गया और उन्हें “नक्सलियों का हमदर्द” कहा गया| वे छत्तीसगढ़ के विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून 2005 के तहत की जानेवाली मनमानी गिरफ़्तारियों के भय में जीने लगे|

हालांकि कुछ अधिकारी मानते हैं कि सलवा जुडुम की गतिविधियों ने हिंसा को बढ़ाया है, जिसके नतीजे में आम नागरिकों की जान माल का नुकसान हुआ है| लेकिन केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इन दुर्व्यवहारों को रोकने और उनमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में विफल रही है| अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी)को इन दुर्व्यवहारों की शिकायतों की जाँच करने का निर्देश दिया|

हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि एनएचआरसी दोनों ओर से किए जानेवाले दुर्व्यवहारों की संपूर्ण छान-बीन करेगा| लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि जब तक भारत की

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यह स्वीकार नहीं करती है कि वह आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने के मामले में विफल रही हैं और जब तक वे उनमें सुधार का उपाय नहीं करतीं, उस समय तक नक्सली आंदोलन में वृद्धि जारी रहेगी| सरकारों को जल्दी से जल्दी अपनी नीतियों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार और मानवीय स्तर पर उत्पन्न महाविपत्ति पर ध्यान देना होगा और यह पहचान करनी होगी कि उसके लिए कौन लोग ज़िम्मेदार हैं|

सरकार और सलवा जुडुम के दुर्व्यवहार

भारत की केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का दावा है कि सलवा जुडुम "नक्सलियों के ख़िलाफ़ स्थानीय लोगों का एक स्वयंसेवी शांतिपूर्ण उपक्रम है|" बहरहाल, ह्यूमन राइट्स वॉच ने सलवा जुडुम में सरकार के सीधी तौर से शामिल होने के और बहुत सी हिंसक घटनाओं में इस गुट का हाथ होने के अनेक प्रमाण हासिल किए हैं|

जून 2005 और 2007 के मानसून (जून-सितंबर) के बीच के लगभग ढाई वर्ष के दौरान सरकारी सुरक्षा बलों ने सलवा जुडुम के सदस्यों के साथ मिलकर गाँवों पर हमले किए, जिनका उद्देश्य था संदिग्ध नक्सली समर्थकों की पहचान करना और ऐसे लोगों से गाँव को ख़ाली कराना, जिनके बारे में यह सन्देह हो कि वह नक्सलियों को समर्थन दे रहे हैं| उन लोगों ने बीजापुर और दांतेवाडा ज़िलों के सैंकड़ों गाँवों पर हमले किए, लोगों को सलवा जुडुम का समर्थन करने पर धमकाया, मारा पीटा, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ़्तार किया और हिरासत में लिया, हत्या की, लूट-मार की और गाँव के गाँव जला दिए| उन्होंने जबरन हज़ारों गाँववासियों को विस्थापित करके थाने या अर्धसैनिक बलों की छावनियों और राष्ट्रीय मार्गों के पास सरकार द्वार चलाए जानेवाले कामचलाऊ सलवा जुडुम शिविरों में पहुँचा दिया| उन्होंने सलवा जुडुम की गतिविधियों में शामिल होने के लिए शिविरों में रहनेवाले बच्चों सहित अन्य लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और जिन लोगों ने गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया उन्हें मारा पीटा और उनपर जुर्माना लगाया|

हालांकि सलवा जुडुम के हमले जून 2005 और 2007 के मध्य के दौरान सबसे ज़्यादा रहे| लेकिन वे अभी तक उन लोगों को कुचलने के प्रयास कर रहे हैं, जो पहले शिविरों में थे और अब अपने गाँव वापस आ गए हैं| सरकारी सुरक्षा बलों के हाथों संदिग्ध

नक्सलियों की हत्याएँ होने की भी ख़बरें हैं, जिन्हें वे मुठभेड़ में हुई हत्या का नाम देते हैं और ग़लतबयानी करते हैं कि ये हत्याएँ सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान हुईं|

पुलिस मनमाने ढंग से नक्सली कहकर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है, उनसे पूछताछ करती है और कुछ मामलों में उनको यातनाएँ देती है| छत्तीसगढ़ पुलिस ने शिविर के निवासियों को, जिन में बच्चे भी शामिल हैं, विशेष पुलिस अधिकारियों के तौर पर भर्ती किया है| एक सह-पुलिस बल के तौर पर उनको अन्य अर्ध-सैनिक पुलिस के साथ नक्सलवादियों की छानबीन के अभियान के लिए तैनात किया है| इस के कारण इन कम उम्र के विशेष पुलिस अधिकारियों को अनेक जानलेवा ख़तरों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें नक्सलियों के हमले, बारूदी सुरंगें और सुधारित विस्फोटक साधनों और नक्सलियों की बदले की हिंसक कार्यवाईयों का खतरा शामिल है|

वर्ष 2006 से स्थानीय ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ (एनजीओज़) छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अल्प आयु के विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती की रिपोर्ट देती रही हैं| छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि उसने अब सारे बच्चों को इससे अलग कर दिया है| कुछ अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की भर्ती इसलिए हो गई थी क्योंकि बहुत से गाँववालों के पास सही आयु रिकार्ड नहीं थे| फिर भी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि इन छोटी उम्र के विशेष पुलिस अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से पहचानने और अलग करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है| जिन छोटी उम्र के विशेष पुलिस अधिकारियों की पहचान नहीं हो सकी और उनको इससे अलग नहीं किया जा सका, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा बना हुआ है|

मानवाधिकार के इस लगातार हनन के परिणामस्वरूप आंतरिक विस्थापन की गहरी समस्या पैदा हो गई है, जिस के लिए भारत की केन्द्र सरकार या संबधित राज्य सरकारों ने कोई क़दम नहीं उठाया है| दिसम्बर 2007 तक कम-से-कम 49,000 गाँववालों का बीजापुर और दांतेवाडा ज़िलों के 24 शिविरों में पुनर्वास किया गया है, जबकि बहुत से अन्य लोग छत्तीसगढ़ के अधिक सुरक्षित इलाक़ो में जा बसे हैं| लगभग 65,000 लोग इस विवाद से बचने के लिए महाराष्ट्र, उड़िसा, और आंध्रप्रदेश इन पड़ोसी राज्यों में भाग गए हैं| लगभग 30,000 से 50,000 लोग आंध्रप्रदेश में जा बसे हैं|

जबरन शिविरों में पुनर्वासित करने के तीन साल बाद स्थानीय आबादी का छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश के लिए पलायन शुरू हुआ| न तो केन्द्र सरकार ने और न ही छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों ने इन लोगों की सहायता और सुरक्षा की

कोई व्यापक योजना तैयार की| अधिकतर विस्थापित लोगों को अपने घर-बार, ज़मीन-जायदाद, मवेशी और रोज़गार के मुख्य स्रोत खेती से वंचित होना पड़ा| जो सरकार संचालित सलवा जुडुम शिविरों में रहते हैं वे ऐसी ख़राब स्थिति में हैं, जहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं|

शिविरों में रोज़गार के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ रहनेवालों की कोई आमदनी नहीं है; और अगर है, तो न के बराबर| प्रारंभ में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कुछ शिविरों के निवासियों के लिए निशुल्क भोजन सामग्री उपलब्ध कराई भी थी, या तो अब उसमें कटौती कर दी गई है, या उसे बिलकुल समाप्त कर दिया गया है| ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह भी पाया कि अतिरिक्त विस्थापित लोग बीजापुर और दांतेवाडा के ऐसे ग़ैर-सरकारी और तथाकथित स्थाई सरकारी आवासों में रहते हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ सरकार से मान्यता प्राप्त शिविरों से भी कम सुविधाएँ मौजूद हैं|

जो ग्रामीण भाग कर आंध्रप्रदेश चले गए हैं, वे भी प्रायः बहुत ख़राब स्थिति में जीवन बिता रहे हैं| बहुत से लोगों ने जब पलायन किया था तो उनके पास भूमि ख़रीदने या किराए पर लेने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे; जिसकी वजह से वे जंगली इलाकों में जा बसे| आंध्रप्रदेश के वन अधिकारियों ने इन बस्तियों को ग़ैरक़ानूनी बता कर बार-बार खाली कराया, जिसमें काफ़ी बल का प्रयोग किया गया और उनके घरों और निजी सामानों को नष्ट किया गया| ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बस्ती का दौरा किया जिसे जनवरी, 2007 के बाद नौ या दस बार उजाड़ा जा चुका था| वन अधिकारियों ने बहुत से विस्थापित परिवारों को बिना उनसे परामर्श किए जबरन विस्थापित कर दिया है| आंध्र प्रदेश सरकार की नीति के उनुसार इन विस्थापित लोगों को सरकारी कल्याण योजनाओं, जैसे खाद्य अनुदान और ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की सुविधा से ऐसे अनेक कारण बताकर वंचित रख रही है जिनमें से एक यह है कि वे ‘स्थानीय निवासी’ नहीं हैं|

इटागट्टा के कुछ ग्रामीणों का अनुभव सलवा जुडुम अभियान और उसके प्रभाव को भलीभाँति बयान करता है| सरकारी सुरक्षा बल और सलवा जुडुम के कार्यकर्ताओं ने दांतेवाडा ज़िले के इटागट्टा गाँव पर 2006 की गर्मियों में छापा मारा, जिसमें 50 घर हैं| एक प्रत्यक्षदर्शी ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि आक्रमणकारी बिना किसी चेतावनी के आए, गाँववालों को मारा-पीटा और उनका सामान लूट कर ले गए, जिनमें उनके

मवेशी भी शामिल थे| सलवा जुडुम के सदस्यों और सरकारी सुरक्षाकर्मियों ने फिर सभी 50 मकानों में आग लगा दी|

प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार-

> "सलवा जुडुम के लोगों और पुलिस ने लगभग 15 लोगों को मार दिया, जिनमें पाँच महिलाएँ और दस पुरूष थे| सब के सब वयस्क थे, मेरी आयु के, यानी तीस के लगभग| उन्होंने पाँच लोगों का गला चीर दिया, जिनमें एक महिला भी थी| मैं इन पाँचों लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ| उन लोगों को मारने की कोई वजह नहीं थी| जो भी उनके सामने आया उन्होंने उस पर हमला कर दिया| मैंने उनमें से दो लोगों का अंतिम संस्कार किया| उन लोगों ने 13 साल की उंगी के साथ बलात्कार किया और उसे मार दिया| उन लोगों ने बार-बार [नाम हटा लिया गया है] का बलात्कार किया| पहले उन लोगों ने उसका गाँव में बलात्कार किया| फिर उसे थाने ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे छोड़ दिया|"

उसी ग्रामीण व्यक्ति ने बताया कि सलवा जुडुम के सदस्य और सरकारी सुरक्षाकर्मी उसके गाँव के चार पुरूषों और दस महिलाओं को ज़बरदस्ती उठा कर ले गए| उसने कहा कि सारी महिलाएँ तो बाद में वापस आ गईं लेकिन पुरूष नहीं लौटे| उनका कोई पता नहीं चल सका|

डर के मारे गाँव के बहुत से लोग कई दिनों तक जंगल में छिपे रहे| सलवा जुडुम के सदस्य और सरकारी सुरक्षाकर्मी वापस आए और उन्हें पाकर उनपर फिर से हमला कर दिया| आख़िरकार गाँववाले सुरक्षित स्थान पर पहुँचने की आस में आंध्र प्रदेश भाग गए|

हालाँकि, जैसे ही वे आंध्र प्रदेश में जा बसे, वन अधिकारियों ने उनकी बस्तियों को यह कह कर उजाड़ दिया कि वे ग़ैरकानूनी हैं और जंगल की ज़मीन पर बनी हैं|

आंध्रप्रदेश में वन अधिकारियों के व्यवहार के बारे में एक ग्रामीण ने बताया,

> "वन अधिकारी हमें मारा-पीटा करते थे| 12 से 20 लोग अपनी गाड़ियों में आते, हमें घरों से खींच निकालते और पिटाई करते| वह पुरूष और महिला

> दोनों को मारते और हमें गाली देते—चूतिया, भोंसड़ा, साला—तुम यहाँ आकर जंगल काटते हो| कभी-कभी वे एक दिन में दो-दो तीन-तीन बार आते.... उन लोगों ने पाँच-छह बार हमारी झोंपड़ियों को जला दिया और हर बार हमने फिर से उन्हें बनाया| जब तक हम झोंपड़ी नहीं बना लेते उस समय तक हम वनों में पेड़ों के नीचे रहते|"

अंततः स्थानीय लोगों की सहायता से इटागट्टा के ये विस्थापित लोग आंध्र प्रदेश के कुछ अधिक सुरक्षित स्थान पर बसने में सफल हो गए| हालाँकि, जब उन्हें पता चला कि पड़ोसी राज्य से सलवा जुडुम के सदस्यों ने उनका पता लगा लिया है तो वे डर गए| सलवा जुडुम के लोग 2007 के मध्य में छत्तीसगढ़ के लोगों की तलाश में उनकी नई बस्ती में आए| क्षेत्र के सरपंच ने यह कह कर सलवा जुडुम के सदस्यों को गुमराह किया कि यहाँ नए लोग आकर नहीं बसे हैं| फिर भी इटागट्टा गाँव के विस्थापित लोग डर के निरंतर साये में जीवन बिता रहे हैं|

नक्सलियों का दुर्व्यवहार

नक्सली अनेक गंभीर दुर्व्यवहार के मामलों के ज़िम्मेदार हैं| उनका दावा है कि वे लोकप्रिय 'जन-संघर्ष' का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें निर्धनों, विशेषकर आदिवासी समुदायों के लिए बराबरी और न्याय हासिल करना शामिल है| इसके बावजूद जो लोग उनको सहयोग देने से इनकार करते हैं या जिनपर उन्हें पुलिस के मुख़बिर होने का सन्देह होता है, उनके साथ उनके व्यवहार में धमकियाँ, परेशान करना, उत्पीड़न, मार-पीट, लूट-मार, बिना किसी जाँच-पड़ताल के हत्या और अन्य दंड शामिल हैं| वे गाँववालों से ज़बरदस्ती पैसे, भोजन और शरण की माँग करते हैं, बच्चों की सैनिकों के तौर पर भर्ती करते हैं, ताकि सरकारी सेना के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही में उनका इस्तेमाल कर सकें और बारूदी सुरंगों और आईइडीज़ का प्रयोग करते हैं, जिन के कारण कई नागरिकों की जानें जा चुकी हैं|

नक्सली सज़ा देने के लिए सार्वजनिक मुकदमे चलाते हैं, जिन्हें वे जन-अदालत का मान देते हैं| इसमें वे कथित ग़द्दारों और संदिग्ध पुलिस मुख़बिरों को मृत्युदंड भी सुनाते हैं| अभियुक्त को किसी कानूनी सलाह, स्वतंत्र न्यायाधीश या अपील करने का अधिकार नहीं होता| जन-अदालत का प्रयोग ग्रामीण नेताओं और धनी ज़मींदारों को निशाना बनाने के लिए भी होता है| उदाहरण के तौर पर नक्सली भूमि के मालिकों को ऐसी किसी अदालत

में पकड़ लाते हैं और उन्हें अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग गाँव के निर्धनों में बाँटने के लिए कहते हैं| जो इसका विरोध करने का साहस करते हैं उन्हें पीटा जाता है|

नक्सलियों के विरुद्ध आम शिकायत उनका खाना छीनना और पैसे ऐंठना है| कुछ लोगों ने बताया कि नक्सलियों ने उन लोगों से जबरन अनाज वसूला; हालांकि वह उनके अपने परिवार को खिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था| कुछ अन्य मामले में नक्सलियों ने उन ग्रामीणों को जान से मार डालने की धमकी दी जो उनकी माँगी गई रक़म देने से इनकार करते हैं| वे उन गाँववालों से 'जुर्माना' वसूल करते हैं जो उनकी सभा में शामिल होने से इनकार करते हैं|

नक्सली बच्चों की भर्ती करते हैं और सैन्य कार्रवाई में उनका इस्तेमाल करते हैं| सीपीआई (माओवादी) (एक राजनीतिक पार्टी) की यह नीति रही है कि वे 16 साल के बच्चों को अपनी सेना में भर्ती करते हैं और उनका उपयोग करते हैं| छह से बारह साल के बच्चों का बाल-संगम (बाल-संगठन) में नामांकन किया जाता है| उन्हें माओवादी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाता है| उनका मुख़बिर के तौर पर इस्तेमाल होता है| उन्हें लाठी जैसे कम घातक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे-धीरे 18 साल की आयु से पहले तक उन्हें दूसरी नक्सली शाखा, चैतन्या नाट्य मंच (सीएनएम–नुक्कड़ नाटक मंडली), संगम (गाँव के स्तर का संगठन), जन-मिलिशिया (सशस्त्र मुख़बिर) या दलम (सशस्त्र दल) में पदोन्नति दे दी जाती है| कुछ बच्चे जो शारीरिक तौर पर हृष्ट-पुष्ट हों उन्हें सीधे दलम में भर्ती कर लिया जाता है| संगम, जन-मिलिशिया और दलम के बच्चों को बारूदी सुरंगों जैसे शस्त्रों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है|

जन-मिलिशिया और दलम के बच्चे सरकारी सुरक्षाकर्मियों के साथ सीधे सशस्त्र मुठभेड़ों में भाग लेते हैं| बाल-संगम, सीएनएम, और संगमों के बच्चे सीधे तौर पर झगड़ो में शामिल नहीं होते; लेकिन वे नक्सलविरोधी छानबीन अभियानों में सरकारी सशस्त्र हमलों का सामना करते हैं| नक्सली अपने उन भगौड़े सशस्त्र सदस्यों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में कभी-कभी उनके परिजनों और दोस्तों को भी निशाना बनाते हैं और उनकी हत्या तक कर देते हैं|

नक्सलियों ने सलवा जुडुम अभियान के ख़िलाफ़ हिंसात्मक प्रतिकार किया है| उन्होंने सलवा जुडुम शिविरों पर हमले किए और बहुत से नागरिकों को मौत के घाट उतार

दिया| वे लोग जो सलवा जुडुम में शामिल होते हैं, ख़ास तौर पर सलवा जुडुम के नेता और विशेष पुलिस अधिकारियों के तौर पर भर्ती होनेवाले निवासी नक्सलियों के सीधे निशाने पर होते हैं| विशेष पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध नक्सलियों का प्रतिशोध ख़ास तौर पर बुरा है| कथित तौर पर कुछ मामलों में हमले में मारे गए विशेष पुलिस अधिकारियों की उन लोगों ने आँखें निकाल ली और जननाँग काट लिये थे|

नक्सलियों ने गाँव से ऐसे लोगों का अपहरण किया, यातनाएँ दीं और उन्हें मार डाला है, जिनके बारे में उनका विचार यह था कि वे या उनके परिवार का कोई सदस्य सलवा जुडुम के समर्थक हैं| ऐसे लोग जो या तो स्वंय सलवा जुडुम शिविर चले गए या जिन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पहुँचाया गया, उन्हें डर है कि अगर वे अपने गाँव लौटते हैं तो नक्सली प्रतिशोध में उन्हें पीटेंगे और उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है| ह्यूमन राइट्स वॉच के पास ऐसे 45 लोगों की जानकारी है जिन्हें कथित तौर पर सलवा जुडुम का समर्थन करने के लिए मार दिया गया है|

नक्सली सरकारी सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के लिए निरंतर बारूदी सुरंग और आइईडीज़ का प्रयोग करते हैं| ये हमले जून 2005 में सलवा जुडुम की स्थापना के साथ बढ़ गए| जून 2005 और दिसंबर 2007 के बीच नक्सलियों ने 30 बारूदी सुरंग और आईइडीज़ विस्फोट किए, इनमें आम तौर पर उन्होंने रिमोट से विस्फोट करने के तरीक़ों का प्रयोग किया| हालांकि ये हमले सरकारी सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए होते थे; लेकिन कई बार इनमें आम नागरिकों के हताहत और घायल होने की घटनाएँ भी हुई हैं|

उन लोगों ने जान-बूझ कर दर्जनों स्कूलों को इसलिए तबाह कर दिया कि वे पुलिस मुहिम के दौरान इस्तेमाल नहीं किए जा सकें| ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसे 20 स्कूलों के बारे में जानकारी इकठ्ठा की है, जिन्हें नक्सलियों ने नष्ट कर दिया और उन में से अधिकतर सलवा जुडुम के गठन के बाद बरबाद किए गए हैं|

महत्वपूर्ण सुझावः सुरक्षा और उत्तरदायित्व की ज़रूरत

भारत की केन्द्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह नक्सलियों के अपराधों से आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे| हालाँकि सरकार के क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के अनुरूप होने चाहिए| सैद्धांतिक सुरक्षा उपायों को आदिवासी समुदाय के समक्ष प्रस्तुत समस्याओं और वह विमुखता जिसने नक्सलवादी आंदोलन में समर्थकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया, इनको मिलाकर काम करने के बजाय सरकारी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों को ताक़ पर रख दिया| अधिकारियों ने न सिर्फ़ सलवा जुडुम जैसे संगठन में दुर्व्यवहार करनेवालों का समर्थन किया, बल्कि इसके ज़िम्मेदार लोगों को प्रभावी रूप से किसी मुक़दमे की कार्यवाही से भी मुक्त रखने का काम किया| इसके कारण इन तीन वर्षों से अधिक समय में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का हनन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के विस्थापन और मानवीय संकट को बढ़ावा मिला है|

आंतरिक विस्थापन पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र के नीति-निर्देशन में कहा गया है| सरकारी अधिकारियों की मूल ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसी स्थिति पैदा करें और ऐसे तरीक़े उपलब्ध कराएँ जिससे कि विस्थापित लोग अपनी मरज़ी से सुरक्षित और सम्मान सहित अपने इलाकों और अपने घरों को लौट सकें, या स्वेच्छा से देश के किसी भाग में पुनर्वास के लिए राज़ी हों| उसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे विस्थापित लोगों से बात करके उनके पुनर्वास और समाज में दुबारा शामिल होने के लिए पैकेज तयार करें|

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए

- भारत की केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अवैध सलवा जुडुम की गतिविधियों की समाप्ति के लिए आवश्यक और उचित उपाय करें और सलवा जुडुम को दिया जानेवाला संपूर्ण सरकारी सहयोग समाप्त करें, जिसमें हथियारों का प्रावधान शामिल है| छापों और प्रतिशोध समेत सलवा जुडुम की सभी अन्य गतिविधियों में शामिल होने से सरकारी सुरक्षाकर्मियों को अलग रखे|

- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को चाहिए कि वह उन सारे व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर और स्वतंत्र रूप से, बिना पद का विचार किये, छान-बीन करें जो मानवाधिकार के

उल्लंघन में शामिल हों, या जिन्होंने उसका आदेश दिया हो और उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करें|

- राज्य संविधान का पालन करें, यह सुनिश्चित कराने के अपने सांविधानिक दायित्व के तहत, भारत की केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह छत्तीसगढ़ सरकार से कहे कि वह तुरंत सरकारी अधिकारियों सहित उन सभी व्यक्तियों की जाँच करें और उन्हें दंडित करें जो दांतेवाड़ा और बीजापुर ज़िलों में मानवाधिकार के गंभीर हनन के कार्यों में शामिल रहे हैं| भारत की केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर स्वतंत्र जाँच कराए जाने की रज़ामंदी भी प्रकट करनी चाहिए| छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि वह नक्सलियों के विरुद्ध अर्धबल सैन्य कार्रवाई के लिए स्पेशल पुलिस अधिकारियों की तैनाती बंद करे|

- भारत की केन्द्र सरकार, और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों को चाहिए कि वे संयुक्त राष्ट्र के नीतिनिर्देशित सिद्धांतों के अनुरूप यह सुनिश्चित करें कि आंतरिक तौर पर विस्थापित व्यक्ति किसी प्रकार के आक्रमण और अन्य हिंसक कार्यों से सुरक्षित हैं और बिना किसी भेद-भाव के उन्हें ज़रूरी खाद्य-सामग्री, पेयजल, बुनियादी सुरक्षा और वस्त्र, ज़रूरी चिकित्सा सेवाएँ और स्वच्छता उपलब्ध हैं|

- भारत की केन्द्र सरकार, और छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करें जिससे शिविर में रहनेवाले या अन्य विस्थापित लोग जो अपनी ख़ुशी से आना चाहें वे सुरक्षित वापसी कर सकें या देश के किसी अन्य भाग में पुनर्वास के लिए राज़ी हों और इन गाँवों में सरकार बुनियादी सुविधाएँ पुनस्थापित या उपलब्ध कराएँ|

- भारत की केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह सुनिश्चित कराएँ कि आंध्रप्रदेश के सरकारी अधिकारी तुरंत आईडीपी बस्तियों को नष्ट करने, ग़ैरक़ानूनी जबरन मकान ख़ाली कराने, विस्थापित लोगों को जबरन दूसरी जगह भेजने और उनकी संपत्ति ज़ब्त करने से बाज़ रहें|

- भारत की केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह तत्काल सरकारी, ग़ैर-सरकारी और अंतर-सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श और पेरिस सिद्धांत और सशस्त्र बलों या सशस्त्र गुटों के साथ शामिल बच्चों के बारे में जारी नीतिनिर्देशों के अनुरूप एक राष्ट्रीय योजना बनाए जिसके तहत ऐसे बच्चों की पहचान करें, जिन्हें सशस्त्र बलों या पुलिस में भर्ती किया गया हो| उन्हें वहाँ से छुड़ा कर समाज में दुबारा शामिल कराने का कार्य किया जाए|

सीपीआई (माओवादी) पार्टी को चाहिए कि वह तुरंत

- आम नागरिकों के ख़िलाफ़ दुर्व्यवहार समाप्त करें, जैसे हत्या, धमकी, फिरौती और बारूदी सुरंगों और आईइडीज़ का अंधाधुंध प्रयोग बंद किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी अपना दुर्व्यवहार बंद करें, जिन्होंने सलवा जुडुम में भाग लिया, शिविर में रहे और विशेष पुलिस अधिकारियों या पुलिस के मुखबिर के तौर पर काम किया|

- ऐसी नीति बनाएँ और उसपर अमल करें, जो यह सुनिश्चित करें कि वे लोग जो सलवा जुडुम शिविर से अपने गाँव लौटना चाहते हैं, वे सुरक्षित लौट सकें|

- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सशस्त्र शाखाओं समेत नक्सल शाखाओं में भर्ती करना बंद करें| 18 साल से कम उम्र के सारे बच्चों को रिहा करें और जो 18 वर्ष की आयु से कम में भर्ती किए गए थे उनको संगठन छोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराएँ|

कार्य प्रणाली

यह रिपोर्ट आंध्रप्रदेश के खम्माम और वारंगल ज़िलों और छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दांतेवाडा और बस्तर ज़िलों में नवम्बर 2007 और फ़रवरी 2008 के बीच ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा किए गए अनुसंधान पर आधारित है| ये इलाके नक्सलियों, सलवा जुडुम और सरकारी सुरक्षाकर्मियों के बीच होनेवाले संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं| इनके चयन का आधार सर्वेक्षण सामग्री और ऐसे स्वतंत्र शोधकर्ताओं, क्षेत्रीय ग़ैर-सरकारी संस्थाओं, पत्रकारों और विधीज्ञों के बैकग्राउंड इंटरव्यू हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इस संघर्ष का अध्ययन किया है या पीड़ितों की सहायता की है|

जाँच-पड़ताल के दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच ने 235 लोगों से साक्षात्कार लिया जिनमें :

- 69 ऐसे विस्थापित लोग थे जो बीजापुर और दांतेवाडा के 18 विभिन्न गाँवों से भाग कर खम्माम और वारंगल ज़िलों के 17 गाँवों में जा बसे थे|

- शिविर के 71 निवासी (जिनमें शिविर के पूर्वनिवासी भी थे|) जो बीजापुर और दांतेवाडा ज़िलों के सात सलवा जुडुम शिविरों और एक स्थायी सरकारी निवास में रहते थे, उनमें 50 नागरिक, तीन सलवा जुडुम के नेता और 18 विशेष पुलिस अधिकारी भी शामिल थे|

- 10 भूतपूर्व नक्सली जिनमें बाल-दलम (सशस्त्र नक्सल शाखा) के दो भूतपूर्व सदस्य शामिल थे|

ह्यूमन राइट्स वॉच ने छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश के 15 सरकारी अधिकारियों से भी साक्षात्कार किया जिनमें दांतेवाडा और बीजापुर के ज़िलाधीशों (ज़िले के स्तरपर सबसे बड़ा प्रशासनिक पद), दांतेवाडा ज़िले के ज़िला अधीक्षक (ज़िले के स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस पद), छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (राज्य स्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा पद), खम्माम ज़िले के भद्राचलम प्रमंडल के वन प्रमंडल अधिकारी और खम्माम ज़िले के उप-ज़िलाधीश शामिल थे|

इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने 51 इंटरव्यू किए जिनमें वकील, स्थानीय पत्रकार, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग़ैरसरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, वनवासी चेतना आश्रम, पीपुल्स यूनियन फ़ार सिविल लिबर्टीज़, फ़ोरम फ़ॉर फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऐंड

ऐडवोकेसी, वन्या, गायत्री संघ परिवार, बस्तर ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाईटी, केयर, एमएसएफ़ और यूनिसेफ़ (संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी) शामिल थे|

सुरक्षा कारणों से ह्यूमन राइट्स वॉच दांतेवाड़ा और बीजापुर ज़िले के दूर-दराज़ के गाँव और वनों में रहनेवाले लोगों और सीपीआई(माओवादी) पार्टी के सदस्यों से साक्षात्कार नहीं कर सकी| हालांकि इस रिपोर्ट में संघर्ष पर सीपीआई(माओवादी) पार्टी के दृष्टिकोण को उसकी प्रेस-विज्ञप्तियों और अक्टूबर, 2006 में इंडिपेंडेंट सिटीज़न्स इनिशिएटिव, भारत की एक तथ्यों की जाँच करनेवाले दल, को भेजे गए उसके पत्र के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार शामिल किया गया है|

गाँव के लोगों को सेवा प्रदान करनेवाले स्थानीय ग़ैर-सरकारी संगठनों ने ह्यूमन राइट्स वॉच को साक्षात्कार के लिए पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान में मदद की, उसके बाद इंटरव्यू देनेवालों से हमने अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अपनी इंटरव्यू की सूची और संपर्क सूची में विस्तार किया|

अधिकतर इंटरव्यू व्यक्तिगत रूप से लिए गए, हालांकि वे अन्य लोगों की उपस्थिति में लिए गए| ये इंटरव्यू एक से तीन घंटे तक चले और इंटरव्यू देनेवालों की पसंद देखते हुए हिंदी, तेलगू या गोंडी भाषाओं में लिए गए| ह्यूमन राइट्स वॉच की टीम में ऐसे शोधकर्ता थे जो हिंदी में प्रभूत्व रखते थे| जहाँ इंटरव्यू देनेवालों ने तेलगू या गोंडी भाषा में साक्षात्कार देना पसंद किया वहाँ ह्यूमन राइट्स वॉच ने स्वतंत्र दुभाषियों की मदद ली| कुछ लोगों ने अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों के बारे में जानकारी दी| ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन जहाँ कहीं भी कई लोगों का एक साथ साक्षात्कार किया गया है, उसका वर्णन ग्रुप इंटरव्यू के तौर पर किया गया है|

सलवा जुडुम और नक्सलियों के दुर्व्यवहार की घटनाएँ काफ़ी हद तक सामने नहीं लाई जा सकीं| इसका कारण कार्यप्रणाली की दिक़्क़तें थीं, जिनमें गाँववालों को डर था कि कहीं वे वह सही या ग़लत तौर पर नक्सलीयों के तौर पर न जाने जाएँ और इसके कारण पुलिस की पूछ-ताछ और उत्पीड़न का शिकार न हों| या फिर दुर्व्यवहार का विवरण देने के परिणामस्वरूप नक्सलियों और सलवा जुडुम के सदस्यों की ओर से प्रतिशोधका भय भी शामिल है|

क्योंकि अधिकतर ग्रामीण लोग समय का अंदाज़ा फ़सल या मौसम के हिसाब से लगाते हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ मामलों में वह घटना का विवरण देते हुए सही महीना न बता पाए हों| कुछ मामलों में इंटरव्यू देनेवालों ने घटना क्रम को भारतीय त्योहारों के संदर्भ में बताया या स्कूल में अपनी कक्षा के हवाले से बात की| इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कई मामलों में इंटरव्यू देनेवालों के मुताबिक़ एक अनुमानित समय का उल्लेख किया है|

ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस रिपोर्ट में सारे इंटरव्यू देनेवालों से गोपनीयता रखने की अपनी वचनबद्धता के मद्देनज़र सारे नागरिकों, विशेष पुलिस अधिकारियों और भूतपूर्व नक्सलियों के नाम या तो नहीं दिए हैं या उनकी जगह नकली नाम का प्रयोग किया है| छद्म नाम से साक्षात्कार देनेवाले की जनजाति का पता नहीं चलता| जहाँ कहीं अधिकारियों ने अपने नाम देने की अनुमति दी, वहाँ उनके नाम का प्रयोग किया गया है| कुछ ग़ैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार और पुलिस की प्रतिशोधसे बचने के लिए यह निवेदन किया कि उनका या उनकी संस्था का नाम नहीं दिया जाए| इसलिए ऐसी सभी बातें हटा ली गईं जिससे उनकी पहचान हो सके|

सुरक्षा कारणों से ह्यूमन राइट्स वॉच ने कुछ इंटरव्यू देनेवालों को आश्वस्त किया कि उनके इंटरव्यू के स्थान की जानकारी नहीं दी जाएगी| इंटरव्यू देनेवालों के निवेदन पर इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की अधिकतर आईडीपी बस्तियों और कुछ सलवा जुडुम शिविरों के नाम नहीं दिए गए हैं|

सूचना का अधिकार क़ानून-2005 के तहत ग़ैर सरकारी संगठनों और व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने जो आवेदन दिया था उसके जवाब में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने जो जानकारी उपलब्ध कराई और दूसरे सरकारी आँकड़ों से साक्षात्कार को पूरा किया गया है|

छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश के अधिकारियों से साक्षात्कार के अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने राज्य सरकार के अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के बारे में जानकारी माँगी है| इसकी प्रति परिशिष्ट-II में दी गई है| ह्यूमन राइट्स वॉच को इन पत्रों का कोई व्यापक उत्तर नहीं मिला है|

परिभाषिक शब्दावली

जहाँ इसके अतिरिक्त कुछ और न कहा गया हो, आम तौर पर ह्यूमन राइट्स वॉच जून 2005 से जून 2008 के बीच उस क्षेत्र में एक या उससे अधिक तैनात सुरक्षाबल टुकड़ियों के लिए 'सरकारी सुरक्षा बल' का प्रयोग करता है, इनमें सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (सीआरपीएफ़), इंडियन रिज़र्व बटालियन्स (आईआरबीज़), छत्तीसगढ़ आर्म्ड फ़ोर्स (सीएएफ़) और विशेष पुलिस अधिकारी शामिल हैं| आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार की पुलिस फ़ोर्स और दूसरी सुरक्षा-बल टुकड़ियों में साफ़ तौर पर भेद कर पाना प्रायः असंभव है और अनेक इंटरव्यू देनेवालों ने कई प्रकार की फ़ोर्स के लिए 'पुलिस' शब्द का व्यापक प्रयोग किया| ह्यूमन राइट्स वॉच इस स्थिति में नहीं है कि वह इंटरव्यू के आधार पर स्वतंत्र तौर पर कह सके कि ये हमले सीआरपीएफ़, आईआरबीज़, सीएएफ़, विशेष पुलिस अधिकारियों ने किये, या फिर उनके मिले-जुले रूप ने, इसलिए जो कुछ इंटरव्यू देनेवालों ने कहा उसे वैसे ही बयान कर दिया गया है|

ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि कुछ ग्रामीण जिन्हें सलवा जुडुम और सरकारी सुरक्षाबलों ने ज़बरदस्ती विस्थापित कर दिये थे वे ऐसी जगह पर रहते हैं जिन्हें सरकार शिविर नहीं मानती है, हालांकि वहाँ के निवासी उसे शिविर कहते हैं| इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसे इलाक़ों को ग़ैरसरकारी शिविर का नाम दिया है|

अधिकतर स्थानों पर इस रिपोर्ट में दांतेवाड़ा और बीजापुर ज़िलों का हवाला है, जोकि अब दो अलग-अलग प्रशासनिक प्रमंडल हैं और जिनका प्रशासन ज़िलाधीश के हाथों में है| मई, 2007 तक ये दोनों एक ही ज़िला दांतेवाड़ा थे और एक ज़िलाधीश के प्रशासन में आते थे| इसलिए कुछ जगहों पर इस रिपोर्ट में दांतेवाड़ा (अविभाजित) के रूप में प्रयोग हुआ है| यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि इस विभाजन से पहले की सारी भारतीय तथ्यान्वेषण रिपोर्ट में दांतेवाड़ा से संकेत अविभाजित दांतेवाड़ा है|

इस संघर्ष में लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए| वे या तो छत्तीसगढ़ के अन्य इलाक़ों में चले गए या फिर पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश या किसी दूसरे राज्य में चले गए| अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार तकनीकी तौर पर सारे आंतरिक विस्थापित लोग(आईडीपीज़) हैं| बहरहाल सरकारी अधिकारी और क्षेत्र के दूसरे लोग आईडीपी शब्दावली का प्रयोग सिर्फ़ उन लोगों के लिए करते हैं, जो छत्तीसगढ़ छोड़ कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं| इस रिपोर्ट में इसी रिवाज का पालन किया गया है|

ह्यूमन राइट्स वॉच बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकार पर 1989 के कन्वेन्शन में दी गई परिभाषा का प्रयोग करता है| इस रिपोर्ट में बच्चों से अभिप्राय वे सभी व्यक्ति हैं जिनकी आयु 18 साल से कम है|

सुझाव

भारत की केन्द्र सरकार के लिए

वे सलवा जुडुम का समर्थन न करें; छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जाँच और दुर्व्यवहार के ज़िम्मेदार सुरक्षाकर्मियों और सलवा जुडुम को सदस्यों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने और गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दें|

- सलवा जुडुम की अवैध गतिविधियों को समाप्त करने, जिनमें हथियार उपलब्ध कराना शामिल है, आदि के लिए आवश्यक और उचित कार्रवाई करें| छापे और प्रतिशोध समेत सलवा जुडुम की सारी कार्रवाईयों में सरकारी सुरक्षा बलों के भाग लेने की समाप्ति करें|

- यह सुनिश्चित कराने के लिए सारे ज़रूरी कदम उठाए कि भारतीय सुरक्षा बल अंतरराष्ट्रीय कानून और भारतीय संविधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पालन करते हैं, जिनमें मनमानी गिरफ़्तारी, कैद, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के ख़िलाफ़ स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान शामिल है|

- राज्य संविधान का पालन करें, यह सुनिश्चित कराने के अपने सांविधानिक दायित्व के तहत, भारत की केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह छत्तीसगढ़ सरकार से कहे कि वह तुरंत सरकारी अधिकारियों सहित उन सभी व्यक्तियों की जाँच करें और उन्हें दंडित करे जो दांतेवाड़ा और बीजापुर ज़िलों में मानवाधिकार के गंभीर हनन के कार्यों में शामिल रहे हैं| भारत की केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर स्वतंत्र जाँच कराये जाने की रज़ामंदी भी प्रकट करनी चाहिए| छत्तीसगढ़ सरकार पर जोर दे कि वह बीजापुर और दांतेवाड़ा ज़िलों में मानवाधिकार के गंभीर दुर्व्यवहार के दोषियों के विरुद्ध की जाने वाली छान-बीन के निष्कर्षों और कार्य-प्रगति को तुरंत प्रकाशित करें|

- सभी गवाहों, पीड़ितों और दूसरे व्यक्तियों को जानकारी देने के नतीजे में संभावित बदले के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें| साथ ही गवाहों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त राशिवाले कोश स्थापित करने का कार्यक्रम बनाए|

- तुरंत यह सुनिश्चित करे कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य स्तर पर एक प्रभावशाली मानवाधिकार आयोग का पुनर्गठन करें, जो नक्सलियों, सलवा जुडुम और सरकारी सुरक्षाकर्मियों के संघर्ष के दौरान होनेवाले मानवाधिकार दुर्व्यवहार सहित सभी प्रकार के मानवाधिकार हनन के मामलों की शिकायतों की सुनवाई करें| यह भी सुनिश्चित करें कि आयोग को अपने तरीक़े से जाँच करने और समन्स जारी करने सहित संपूर्ण अधिकार हों|

विस्थापित लोगों की सुरक्षा करें|

- विस्थापित लोगों और सरकारी, ग़ैर-सरकारी और अंतर-सरकारी संस्थाओं के सुझाव और आंतरिक तौर पर विस्थापित लोगों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के नीति निर्देशन (यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स) के अनुसार एक राष्ट्रीय नीति और योजना बनाएँ और उसे लागू करें| यह नीति मनमाने ढंग और ग़ैरकानूनी तरीके से विस्थापन के विरुद्ध गारंटी दें| इसमें बिना किसी भेद-भाव के विस्थापित लोगों के लिए सरकारी सहयोग को सुनिश्चित किया जाए कि, जो लोग लौटना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित वापसी का बंदोबस्त है| उनके लिए उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए और विस्थापन के दौरान होनेवाली क्षति का उचित मुआवजा दिया जाए|

अंतरिम तौर पर

- यह सुनिश्चित किया जाए कि आंध्रप्रदेश के सरकारी आधिकारी तत्काल आईडीपी बस्तियों को उजाड़ना, अवैध जबरन निष्कासन, विस्थापित लोगों का ज़बरदस्ती पुनर्विस्थापन और उनकी सम्पत्ति ज़ब्त करना बंद करें|

- आंध्रप्रदेश सरकार को अनुमति दी जाए कि वह विस्थापित लोगों को वनों के संरक्षित क्षेत्रों को ग़ैर-वन्य उद्देश्यों (आवास सहित) के लिए प्रयोग करने की इजाज़त दे|

- आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों को निर्देश दें कि सभी विस्थापित लोगों के लिए सरकारी सुविधाएँ मुहैया कराए, जिनमें रोज़गार की गारंटी, आजीविका चलाने के अन्य तरीक़ों, काम के बदले अनाज की सुविधाएँ और अनुदानकृत खाद्यान्न, राशन की उपलब्धता शामिल हैं| इन आईडीपीज़ को वे सारे काग़ज़ात दे जिससे वे इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें|

- छत्तीसगढ़ सरकार को विशेषरूप से दांतेवाड़ा और बीजापुर ज़िलों में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिये अतिरिक्त और विशिष्ट बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाए|

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्तर के मुताबिक़ क़ानून व्यवस्था बनाएँ|

- पुलिस के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में पूरी तरह से संशोधन लाये ताकि उसमें कानून के दायरे में जाँच-पड़ताल के तरीक़ों और उचित व्यवहार समेत मानवाधिकार संबंधित समस्याओं का उपयुक्त प्रशिक्षण शामिल हो| सारे प्रशिक्षण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों जैसे कानून लागू करनेवाले अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के आचार-संहिता और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आदर्शों के अनुसार हों|

बच्चों को युद्ध में भर्ती करने को रोकें और सारे सशस्त्र गुटों द्वारा भर्ती किए गए बच्चों की रिहाई में मदद करें|

- ऐसे कदम उठाएँ जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, जो विशेष पुलिस अधिकारियों के तौर पर काम कर रहें हैं, उनकी पहचान हो और उन्हें वहाँ से निकाल कर शिक्षा और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का विकल्प दिया जाए|

- 1861 के भारतीय पुलिस क़ानून में संशोधन करें और 18 वर्ष की आयु को विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा बनाएँ ताकि भविष्य में बच्चों की भर्ती को रोका जा सके|

- सरकारी, ग़ैर-सरकारी और अंतरसरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श और सशस्त्र बलों या सशस्त्र गुट के साथ शामिल बच्चों के नीतिनिर्देशों पर पैरिस सिद्धांत के अनुसार एक राष्ट्रीय योजना बनाएँ जिसके तहत ऐसे बच्चों की पहचान करें, जिन्हें सशस्त्र बलों या पुलिस में भर्ती किया गया, उन्हें वहाँ से छुड़ाए और उनका पुनर्गठन करें|

- ऐसी नीति बनाएँ जो पुलिस के ख़बरी और विशेष पुलिस अधिकारियों के तौर पर बच्चों के प्रयोग को रोकें, इसमें भूतपूर्व नक्सली बच्चे भी शामिल हैं|

- जन्म और मृत्यु कानून, 1969 को लागू करें और तमाम बच्चों को उनके जन्म का प्रमाण-पत्र प्रदान करें|

- ऐसे प्रभावशाली उपाय करें जिससे यह सुनिश्चित हो कि पुलिस सेवा के लिये भर्ती किए गए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है| ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगायें, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस सेवा के लिये भर्ती करने या उनका खबरी के तौर पर प्रयोग करने का दोषी पाया जाए, इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो पहले नक्सली थे और यह काम किया करते थे|

- बाल-मज़दूरी के निकृष्टतम रूप (अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थान के कन्वेंशन न.182) की अभिपुष्टि करें, जिसमें सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की जबरन और अनिवार्य बहाली को निकृष्टतम प्रकार के बाल-श्रम की श्रेणी में रखा गया है|

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए

सलवा जुडुम से सरकारी सहायता समाप्त करें, सलवा जुडुम और पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए दंडमुक्ति पर गौर करें और भविष्य में दुर्व्यवहार रोकें|

- सलवा जुडुम की अवैध गतिविधियों को समाप्त करने, जिनमें हथियार मुहैया कराना शामिल है, आदि के लिए आवश्यक और उचित कार्रवाई करें| छापे और प्रतिशोधसमेत सलवा जुडुम की सारी कार्रवाईयों में सरकारी सुरक्षा बलों के भाग लेने की समाप्ति करें|

- मानवाधिकार के दुर्व्यवहार में शामिल या उसका आदेश देनेवाले सारे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत गंभीर और स्वतंत्र छान-बीन शुरू करें और उच्च अधिकारियों समेत अभियुक्तों के ख़िलाफ़ उचित कार्यवाई करें| दांतेवाड़ा और बीजापुर ज़िलों में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जाँच करें कि ऐसे दुर्व्यवहार को करवाने या उसके रोकने में वे विफल क्यों रहे, और उनके विरुद्ध पद से हटा देने और/या आपराधिक मुकदमे सहित उचित कार्रवाई करें|

- बीजापुर और दांतेवाड़ा ज़िलों में मानवाधिकार के गंभीर हनन के अभियुक्तों के विरुद्ध की जानेवाली छान-बीन के निष्कर्षों और प्रगति को तुरंत प्रकाशित करें|

- नक्सलियों के विरूद्ध अर्धसैनिक कार्रवाईयों के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती बंद करें|

- सलवा जुडुम द्वारा किए जानेवाले मानवाधिकार संबंधी दुर्व्यवहार की निंदा करने की नीति बनाए और जनता में उसका प्रचार प्रसार करें|

- सलवा जुडुम शिविर में ले गए लोग, पुलिस की हिरासत में मनमाने तौर पर रखे जानेवाले लोग, या मारे गए लोगों सहित 'लापता' लोगों के भाग्य का फ़ैसला करें, और उनकी जानकारी उनके परिजनों को दें|

- ज़िला स्तर पर लापता लोगों के लिए एक इकाई की स्थापना करें जहाँ परिवार जन और संबंधी अपने लापता परिजनों के बारे में बिना किसी प्रतिशोधके भय के जानकारी दे सकें|

- मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की प्रथा को बंद करें और गिरफ़्तारी और हिरासत पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए डी.के.बसु के सुझाव को सख़्ती के साथ लागू करें| उसका उल्लंघन करनेवाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करें| गिरफ़्तारी और हिरासत के प्रति जनता के अधिकारों के बारे में सूचना देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए|

- छत्तीसगढ़ के विशेष सार्वजनिक सुरक्षा क़ानून 2005 को ख़त्म करें|स्कूलों को सेना और सलवा जुडुम की गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होने से रोके|

- उन लोगों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने उन पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को परेशान किया, धमकाया, उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया, जिन्होंने नक्सली, सलवा जुडुम और सरकारी सुरक्षाकर्मियों के संघर्ष के बारे में रिपोर्ट दी या मानवाधिकार के पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाई जाए |

इस संघर्ष में विस्थापित हुए लोगों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया जाए|

- जिन विस्थापित लोगों ने खेती-बाड़ी शुरू कर दी है और जो अपने गाँव वापस आ गए हैं, उनका पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारियों और सलवा जुडुम के सदस्यों द्वारा परेशान किया जाना हर सरकारी स्तर पर रोका जाए|

- संयुक्त राष्ट्र के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप यह सुनिश्चित करें कि आंतरिक तौर पर विस्थापित व्यक्ति किसी प्रकार के आक्रमण और अन्य हिंसक कार्यों से सुरक्षित हैं और बिना किसी भेद-भाव के उन्हें ज़रूरी खाद्य सामग्री, पेयजल, आवास और वस्त्र, आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ और शौच सुविधाएँ उपलब्ध हैं|

- जो लोग अपने गाँव लौटना चाहते हैं, उनकी वापसी को संभव बनाने के लिए राज्यस्तरीय योजना आयोग का गठन किया जाए| इस योजना आयोग में सरकारी, ग़ैर-सरकारी और अंतरसरकारी प्रतिनिधियों के साथ ख़ाली कराए गए गाँवो की ग्राम पंचायत और आदिवासियों के गाँवो के प्रतिनिधि (केवल ग्राम पंचायत के सदस्य ही नहीं) शामिल हों| यह समिति वापसी का एक कार्यक्रम बनाए जिसके तहत विस्थापित समुदायों को अपने घरों में सम्मान और सुरक्षा के साथ आने की सहूलत मौजूद हो और वे वहाँ अपना जीवनयापन शुरू कर सकें| ये सारे कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के नीतिनिर्देशक नियमों के अनुरूप हों और आंतरिक तौर पर विस्थापित समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हों|

- यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके लौटने पर गाँव की स्थिति कम से कम वैसी ही हो, जैसी उनके विस्थापन के समय थी, और यह सारा प्रबंध राज्य सरकार के ख़र्चे से हो|

- ज़िले के स्तर पर एक टीम बनाई जाए जिसमें ग़ैर सरकारी संगठन, कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और विस्थापित लोग शामिल हों और यह टीम एक नया सर्वेक्षण करे जिसमें अपने गाँव वापस लौटने के इच्छुक विस्थापितों की पहचान की जाए| सर्वेक्षण में परिवार और गाँव के नामों के साथ विस्थापन के दौरान हुए नुक़सान का ब्योरा दर्ज किया जाए|

- बीजापुर और दांतेवाड़ा ज़िलों के शिविरों और दूसरी जगह रहनेवाले सभी विस्थापित लोगों के बारे में जून 2008 तक की पूरी जानकारी जारी की जाएँ|

- जो स्थान सुरक्षा कारणों से पहुंच के बाहर हैं और जहाँ के लोग वापस लौटना नहीं चाहते हैं, उनको उचित मुआवज़ा मिले, जिसमें आंतरिक तौर पर विस्थापित लोगों के भरण-पोषण का खर्चा शामिल हो| उन्हें स्वास्थ सेवाएँ, शिक्षा, रोज़गार और जीवन-यापन के दूसरे साधन उपलब्ध कराएँ जाय|

- स्थाई निवास की जगहों और ग़ैर-सरकारी शिविरों सहित ऐसे सारे इलाक़ों जिन्हें सरकार शिविर नहीं मानती है वहाँ रहनेवाले विस्थापित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों के समान अवसर सुनिश्चित किए जाएँ|

कम उम्र के विशेष पुलिस अधिकारियों की पहचान की जाए, उनकी भर्ती रोकी जाए और उनका पुनर्वास किया जाए|

- 18 वर्ष से कम आयु के सभी विशेष पुलिस अधिकारियों की पहचान की जाए और उनको सेवा से हटा दिया जाए| उनको उपयुक्त सहायता दी जाए, जिन में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकल्प शामिल है|

- उन विशेष पुलिस अधिकारियों को सम्मानजनक पेशकश दी जाए जो भर्ती के समय 18 वर्ष से कम उम्र के थे और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण का उचित विकल्प दिया जाए|

- भूतपूर्व नक्सलियों के बच्चों का पुलिस मुख़बिर या विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर इस्तेमाल समाप्त किया जाए|

- जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 को लागू करे और सभी बच्चों को उनके जन्म का प्रमाण-पत्र प्रदान करें|

आंध्र प्रदेश सरकार से

- सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं को आंतरिक विस्थापित लोगों(आईडीपीज़) तक भी पहुँचायें और उन्हें रोज़गार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर

पहचान पत्र, और दूसरे दस्तावेज़ मुहैया कराएँ जो विस्थापित लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के इस्तेमाल का मौका दें|

- वन विभाग को आदेश दें कि वह तुरंत आईडीपी बस्तियों के अवैध विनाश, गाँववालों की ज़बरदस्ती बेदख़ली या पुनर्विस्थापन और उनकी सम्पत्ति की ज़ब्ती को समाप्त करें|

- खम्माम और वारंगल ज़िलों की सभी ग्राम पंचायतों को आदेश दें कि वे विस्थापित लोगों का साथ दें, विस्थापित लोगों को आश्वस्त कराते हुए सार्वजनिक घोषणा कराएँ कि अगर उनकी पहचान ज़ाहिर हो जाती है, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा|

- विस्थापित लोगों को क्षेत्रीय आदिवासी समुदायों के उत्पीड़न से बचायें और जहाँ ज़रूरी हो क़ानूनी कार्रवाई करें|

- यह सुनिश्चित करें कि उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी जो आदिवासियों को हिंसा पर उकसाएँगे|

- छत्तीसगढ़ के सलवा जुडुम सदस्यों के उत्पीड़न से विस्थापित लोगों को सुरक्षा प्रदान करें|

सीपीआई (माओवादी) पार्टी से

- नागरिकों के विरुद्ध मानवाधिकार दुर्व्यवहार और युद्ध के नियमों का उल्लंघन के साथ-साथ हत्या, धमकी का इस्तेमाल, फिरौती, और बारूदी सुरंगों के अन्धाधुन्ध प्रयोग बंद करें और सलवा जुडुम में भाग लेनेवाले लोगों या विशेष पुलिस अधिकारियों के तौर पर काम करनेवालों या पुलिस के ख़बरी को तौर पर काम करनेवाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिशोधबंद करें|

- स्कूलों पर बम और अन्य प्रकार के हमले फ़ौरन बंद करें|

- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सख़्ती के साथ पालन सुनिश्चित करें|

- जन-अदालत की कार्रवाई ख़त्म करें जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायपूर्ण जाँच के मानक पर पूरा नहीं उतरता है, और संदिग्ध मुख़बिरों और नक्सलियों के विरूद्ध अन्य अपराध में संदिग्ध लोगों के विरूद्ध सभी मृत्यु दंड और न्यायेतर सज़ाओं को बंद करें|

- ऐसे सारे हमले बंद करें जो जानबूझ कर या नागरिकों या नागरिक सामग्री को अंधाधुंध निशाना बनाए|

- जो लोग सलवा जुडुम शिविर को छोड़ कर अपने गाँव वापस आना चाहते हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए योजना जारी और लागू करें|

- बाल संगम (बच्चों का संगठन) सहित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की किसी भी हालात में भर्ती तुरंत बंद की जाए|

- सारे बच्चों को रिहा किया जाए और उन सारे बच्चों को जिनकी भर्ती 18 वर्ष से कम की आयु में हुई थी उन्हें वापसी का विकल्प दिया जाए|

- सार्वजनिक घोषणाओं और स्थानीय संचार माध्यम के द्वारा परिवारों को सूचित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती नहीं किया जाएगा|

- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाएँ कि नक्सली कमांडर और अन्य कार्यकर्ता 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी 'स्वेच्छा' या किसी अन्य प्रकार से भर्ती न कर सकें, और इस प्रकार की भर्ती के लिए ज़िम्मेदार नक्सली नेताओं के विरुद्ध की गई उचित अनुशासनिक कार्रवाईयों का ब्यौरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिए जाए|

- नक्सली सेना से बच्चों को हटाने के लिए यूनिसेफ़ और अन्य उचित संस्थानों के साथ सहयोग करें और उन्हें पुनर्वास और पुनर्गठन के कार्यक्रमों में हस्तांतरित करें|

- नक्सली सेना को छोड़नेवाले बच्चों सहित अन्य लोगों के विरूद्ध सभी प्रकार के प्रतिशोध बंद करें और ऐसे लोगों के परिजनों के विरुद्ध किए जानेवाले प्रतिशोध भी बंद करें|

विदेशी सरकारों, अंतरसरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से

- भारत की केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर सार्वजनिक और निजी तौर पर जोर दिया जाए कि वे सलवा जुडुम को दी जानेवाली सारी सहायता रोकें, मनमानी गिरफ़्तारी और उत्पीड़न बंद करें और मानवाधिकार के उल्लंघन के प्रति जवाबदेही अपनाएँ|

- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया जाए कि वह स्वास्थ और शिक्षा के लिए निर्धारित राशि का छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में रहने वाले सभी विस्थापित लोगों के लिए बिना किसी भेद-भाव के प्रयोग करे और, जहाँ संभव हो वहाँ ऐसी सुविधाओं के लिए धन-राशि में वृद्धि की जाए; ताकि बुनियादी स्वास्थ सेवाओं और शिक्षा के स्तर को पूरा किया जा सके|

- भारत की केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के सुरक्षा-बलों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के लिए उचित मानवाधिकार प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में सहायता दी जाए|

आभार

यह रिपोर्ट अरूणा कश्यप, ऐलन आर. और बारबरा डी., ह्यूमन राइट्स वॉच में फ़िनबर्ग फ़ेलो द्वारा लिखी गई और यह बालअधिकार विभाग के ऐडवोकेसी डायरेक्टर-लेखक जो बेकर और एशिया विभाग की वरिष्ठ शोधकर्ता मीनाक्षी गांगुली के शोध पर आधारित है| इस रिपोर्ट का संपादन जो बेकर, मीनाक्षी गांगुली, कानूनी और योजना निर्देशक जेम्स रौस और सहायक कार्यक्रम निर्देशक जोज़ेफ़ सॉन्डर्स ने किया है| शरणार्थी नीति विभाग के निर्देशक बिल फ़्रेडरिक और एशिया विभाग के निर्देशक ब्रैड ऐडम्स ने भी इस रिपोर्ट की समीक्षा की है|

बाल अधिकार विभाग में इन्टर्न पॉला सिलवीरा ने इसमें महत्वपूर्ण शोध सहायता दी है| बाल अधिकार विभाग में सहयोगी केनजी किज़ुका ने शोध, संपादन और प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण सहायता की है| क्रिएटिव मैनेजर ऐन्ना लोप्रिओरे, प्रकाशन निर्देशक ऐन्ड्रिया हॉली, प्रकाशन विशेषज्ञ ग्रेस चुइ और मेल मैनेजर फ़िट्ज़रॉय हेपकिन्स ने प्रकाशन में सहायता दी है|

हम लोग बहुत से स्थानीय ग़ैरसरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं, मानवतावादी कार्यकर्ताओं, वकीलों और उन सारे लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने शोध में और इस रिपोर्ट की तैयारी में सहायता की है| हम विशेष तौर पर ह्यूमन राइट्स फ़ोरम के के. बालगोपाल, सितारा संगठन के प्रो. जे.पी.राव और वनवासी चेतना आश्रम और उन अन्य लोगों के आभारी हैं, जिनका नाम सुरक्षा कारणों से नहीं दिया जा रहा है| इस रिपोर्ट में प्रकट किए गए सारे विचार ह्यूमन राइट्स वॉच के हैं और ह्यूमन राइट्स वॉच इसकी किसी भी ग़लती और त्रुटि की पूरी ज़िम्मेदारी लेता है|

सबसे पहले हम सभी पीड़ितों और गवाहों, विशेष पुलिस अधिकारी, और भूतपूर्व नक्सलियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दुर्व्यवहार को सामने लाने और दुर्व्यवहार करनेवालों को सज़ा दिलाने की ख़ातिर अपने अनुभवों को बयान किया| हम उन सरकारी अधिकारियों का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट के लिए इंटरव्यू देना स्वीकार किया| हमें खेद है कि सुरक्षा कारणों से हमने बहुत से लोगों के नाम नहीं दिए हैं, जिन्होंने हमें अमूल्य सहायता प्रदान की हैं |

हम वित्तीय सहायता के लिए कोर्डएड, काउंटेस मौरिया चैरीटेबल फ़ाउंडेशन, ओक फ़ाउंडेशन, इंडिपेंडेन्स फ़ाउंडेशन, दी मैलकम हेविट विएनर फ़ाउंडेशन, और आइज़नबर्ग फ़ैमली चैरीटेबल ट्रस्ट का आभार प्रकट करते हैं|